न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

बइजलास – पीठासीन अधिकारी– रोहित कुमार आर.ए.एस.

राजस्व विविध सं. 207/2019

प्रार्थी नोनगाराम पुत्र मंगलाराम जाति प्रजापत निवासी खेड़ तह. पचपदरा

बनाम

विप्रार्थीगण बंशीलाल पुत्र जवानमल जाति जटीया निवासी बालोतरा जि. बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा. का. अ.

आदेश दिनांक :– 19.02.2020

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थी ने ग्राम खेड़ के खसरा सं. 573/274 रकबा 37.15 बीघा में आवागमन हेतु विप्रार्थी के खातेदारी खसरा सं. 891/305 में से रास्ता चाहा, प्रार्थी ने कथन किया कि, प्रार्थी इसी रास्तें का अन्य पड़ौसी खातेदारों के साथ वर्षो से आवागमन कर रहे हैं, किन्तु विप्रार्थी उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर रहा हैं, इसलिए आवागमन हेतु 15 फीट चौड़ा रास्ता प्राप्त करने हेतु न्यायालय में यह आवेदन पत्र के संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाये ए से बी बरंग लाल रास्ता घोषित करने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा हैं, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया, विप्रार्थी ने नोटिस लेने से इन्कार किया। न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर विप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

तहसीलदार से इस सम्बन्ध में मौके, रेकर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही। तहसीलदार के द्वारा उक्त रिपोर्ट जरिये पत्र क्रमांक/राजस्व/2020/141 दिनांक 23.01.2020 प्रस्तुत कर कथन किया कि उपरोक्त भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच हल्का पटवारी खेड़ व भू–अभि निरीक्षक साजियाली से जांच करवायी, ग्रेवल रास्ता खसरा सं. 594/274 से 601/274 से लगता हुआ बना हैं, जो नक्शे में बी. से. सी. बिन्दु दर्शाया गया मौके पर खेड़ से पचपदरा जाने वाली डामर सड़क से खेत खसरा सं. 891/305 से ग्रेवल रास्ता को जोड़ा जाने वाला मार्ग वर्तमान में बंद हैं, संलग्न नक्शा में ए. से बी. बिन्दु तक रास्ते की लम्बाई 100 फीट चौड़ाई 15 फीट अर्थात कुल जमीन 1500 वर्गफीट बराबर 0.02 विस्वा के लगभग हैं, जो निकटतम रास्ता हैं, प्रति बीघा 3,66,570/– रूपये हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्रार्थी अधिवक्ता को सुना, पत्रावली का अवलोकन अध्ययन किया।

पत्रावली का अवलोकन अध्ययन करने के बाद यह तथ्य सामने आया कि, प्रार्थी भूमि खसरा सं. 573/274 रकबा 37.15 बीघा मौजा खेड़ का रेकर्डेड खातेदार हैं, जिसका आवागमन का रास्ता बदिशा पश्चिम में अवस्थित हैं, किन्तु उक्त रास्ता खसरा सं. 891/305 जो विप्रार्थी के खातेदारी की भूमि हैं, में रेकर्ड में कटाण नहीं होने से अवरूद्ध होना पाया जाता हैं, जो प्रार्थी के आवागमन का निकटतम रास्ता हैं, धारा 251 ए. रा.का.अ. की मंशा हैं, कि निकटतम रास्ता खातेदार को उपलब्ध करवाया जाना चाहिये।

अतः वाद विवेचन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा सं. 891/305 मौजा खेड़ में से 15 फीट चौडाई का रास्ता प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार घोषित किया जाता हैं, धारा 251 ए. की मंशा अनुसार खातेदार को होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए रास्ता हेतु उपयुक्त कुल 0.02 विस्वा भूमि बराबर 1500 वर्गफीट का मुआवजा डी.एल.सी. रेट से दुगुना कुल राशि रूपये 73,314/– प्रार्थी, विप्रार्थी बंशीलाल को अदा करें, यदि विप्रार्थी उक्त राशि लेने से इन्कार करता हैं, तो भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता हैं, कि उक्त राशि प्रार्थी से प्राप्त कर विप्रार्थी को उसके मांगने पर अदा की जावे, बाद राशि प्राप्ति राजस्व रेकर्ड में निर्णय के संलग्न मार्क ए. से बी. भूमि का आवश्यक अमल दरामद रास्ते हेतु करें।

पत्रावली फैंसल शुमार हो।

आदेश आज तारीख 19.02.2020 को सुनाया गया।

(रोहित कुमार)

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner